न्यायालय- सिविल जज (सी०डि०)ए०सी०जे०एम०, सन्त कबीर नगर

जमानत प्रार्थना पत्र नं०-2953/2026

उ०प्र०राज्य बनाम संजय।

थाना-बखिरा, जनपद- संत कबीर नगर।

12.08.2026

अभियुक्त संजय मुकदमा संख्या-16550/2026 मु०अ०सं०-85/2022, अन्तर्गत धारा-4/25 **Arms Act** थाना-बखिरा, जनपद-संत कबीर नगर में स्वयं से न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि-प्रार्थी बेगुनाह निर्दोष है तथा उसे रंजिशन मुकदमे में फंसा दिया गया है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गाय है कि अपराध गैर जमानतीय है। जमानत का विरोध है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मामले में आरोप पत्र प्राप्त हो चुका है तथा अभियुक्त द्वारा स्वयं आत्म समर्पण किया गया है। मामला 07 वर्ष से कम दण्डनीय अपराधों की श्रेणी में आता है। अतः मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्त संजय द्वारा **मु० पच्चीस हजार रू०** का **व्यक्तिगत बंध** पत्र एवं समान धनराशि का एक **सक्षम प्रतिभू** दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

(संजय राज पांडे)
सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम,
संत कबीर नगर।
J.O. Code-UP 02422

Digitally signed by SANJAY RAJ PANDE
Date: 2026.08.12 16:24:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court